Ensure Sufficient Livelihood Loss Compensation

Naryana Murthy, a farmer from the Nizambad district of Andhra Pradesh, is doomed to his destiny. He is under tremendous pressure to take a decision – whether to commit suicide or not. If decides not to, he doesn't know whom to approach for help. He cannot visualize a saviour, who would lend a helping hand. He feels his God too has betrayed him in this crisis.

Narayan Murthy is one among those ill-fated farmers who has lost his crop due to the severe drought in Andhra Pradesh. He had sowed the paddy with great expectation of a good harvest. He was used to the hardships of a poor farmer, but this time he really hoped and prayed since so much was at stake. His second daughter's marriage had been solemnized and he had to bear the expenses of the elder daughter's delivery. He had to take his wife for a cataract operation and also his arthritic father for an ayurvedic treatment. Besides, he had also made up his mind to heed his only son's demand for a bicycle. Along with these, the loan taken for buying the seeds, fertilizers and other agricultural needs had to be repaid.

Narayan Murthy's fears came true, his God betrayed him and the monsoon did not arrive this year. The entire state of Andhra Pradesh recorded a whopping 57 per cent deficit in rainfall, resulting in a 50 per cent fall in all the sowing areas of the state. Without enough rainfall, the crops dried away and so did Narayana Murthy's expectations.

Along with the interest rate, the loan amount from the rural bank has shot up. "Many of us have borrowed heavily from the private money lenders. The only option I have is to sell my two cows. Selling these cows will also be difficult, because almost every farmer around his village is facing a similar situation", laments Murthy.

Farmers across the country frequently face natural calamities like drought and floods, they also suffer due to the quality of seeds, availability of fertilizers and extensive use of hazardous pesticides. There are innumerable other sections of unorganized workers who too are affected by similar unexpected natural disaster.

The Unorganised Worker Social Security (UWSS) Act, 2008 does not mention anything about livelihood loss compensation for workers in case of a natural disaster or a calamity. Natural disasters are unpredictable, and farmers and workers bear the brunt of these disasters, for which they are in no way responsible. Don't you think that there should be sufficient provisions incorporated to protect them from the livelihood loss with sufficient compensation?

सभी संकटग्रस्त लोगों को आजीविका क्षति मुआवजा दो।

आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले का किसान नारायण मूर्ति अपने भाग्य से त्रस्त है। उसे एक कठोर फैसला लेना है -- वह खुदकुशी करे या जिंदा रहे।

अगर वह खुदकुशी न करने का फैसला लेता है तो उसे ये समझ में नहीं आता कि वह किससे मदद मांगे। उसे ऐसा कोई मददगार दिखाई नहीं देता जो उसको सहारा दे सके। उसको लगता है कि भगवान ने भी संकट में उसको छोड़ दिया है।

नारायण मूर्ति आंध्र प्रदेश के उन लाखों बदनसीब किसानों में से एक हैं जो भयानक सूखे की वजह से अपनी फसलें गंवा चुके हैं। नारायण मूर्ति ने अच्छी फसल की उम्मीद में धान बोया था। हर गरीब किसान की तरह उनको भी मेहनत करनी आती है लेकिन इस बार वह कुछ भी कसर उठा रखने को तैयार नहीं थे क्योंकि इस बार उनका बहुत कुछ दांव पर लगा था। उनकी दूसरी बेटी की शादी पक्की हो चुकी थी और उन्हें अपनी बड़ी बेटी के पहले प्रसव का खर्चा देना था। उनकी पत्नी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी बकाया था। नारायण मूर्ति के बूढ़े पिता गठिया के दर्द से परेशान रहते थे और उन्हें लगातार आयुर्वेदिक इलाज की जरूरत पड़ती थी। नारायण मूर्ति की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने बेटे को एक साइकिल भी दिला दें तो क्या ही अच्छा हो। उनका बेटा न जाने कब से एक साइकिल की राह देख रहा है। इनके साथ-साथ उन्हें बीज, खाद और दूसरी चीजों के लिए उठाया गया कर्जा भी चुकाना था।

नारायण मूर्ति को जिस चीज का डर था वही होकर रहा। भगवान ने उसका साथ नहीं दिया और इस साल मानसून सूखा ही गुजर गया। पूरे आंध्र प्रदेश में 57 प्रतिशत कम बारिश हुई जिससे बुवाई में भी 50 प्रतिशत गिरावट आयी। जो थोड़ी-बहुत बुवाई हो पायी वह भी बारिश न हो पाने के कारण वक्त से पहले ही मुर्झा गयी। इन मुर्झाती फसलों के साथ नारायण मूर्ति की उम्मीदें भी झुलस कर रह गयीं।

ग्रामीण बैंक से लिये गये कर्जे की ब्याज दर तो बढ़ी ही है, किस्त न चुकाने की वजह से बकाया भी बढ़ता जा रहा है। मूर्ति बताते हैं, "हम बहुत सारे किसानों ने महाजनों से बड़ी-बड़ी रकमें ली हुई हैं। अब मेरे पास अपनी दोनों गाय बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है लेकिन इन गायों को बेचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आसपास के तकरीबन हर किसान की हालत ऐसी ही है।"

देश भर में किसान अक्सर सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं। ऊपर से उन्हें खराब बीजों, उर्वरकों की अस्थिर आपूर्ति और खतरनाक कीटनाशकों के बेहिसाब इस्तेमाल की वजह से भी खूब परेशानियां उठानी पड़ती हैं। किसानों के अलावा भी असंगठित मजदूरों के बहुत सारे दूसरे तबके हैं जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हैं।

असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा (यूडब्ल्यूएसएस) अधिनियम, 2008 में किसी प्रकृतिक आपदा या विपत्ति की सूरत में मजदूरों के लिए आजीविका क्षति मुआवजे का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इन आपदाओं का सारा दंश किसानों और मजदूरों को झेलना पड़ता है जिसके लिए वे किसी तरह जिम्मेदार नहीं होते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस कानून में ऐसे मजदूरों और किसानों को आजीविका क्षति से बचाने के लिए पर्याप्त मुआवजे की व्यवस्था शामिल की जानी चाहिए?